प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: मनरेगा सेल/पत्रा0सं0–641/928/2022 दिनांक: 12 मई, 2022

विषय– आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अमृत सरोवर का निर्माण किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार, सचिव, भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार, सचिव, पेय जल एवं स्वच्छता विभाग,भारत सरकार एवं सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–DO#L-11012/1/Amrit Sarovar/RE-VII (e.379839), दिनांक 18.04.2022, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर से निर्गत अमृत सरोवर संबंधी मार्ग–निर्देशिका तथा शासन स्तर से निर्गत शासनादेश संख्या 245/अड़तीस–7–2022–46नरेगा/2019, दिनांक –27.04.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रत्येक लोक सभा क्षेत्र में न्यूनतम 75 अमृत सरोवर का विकास किये जाने के दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 11.05.2022 को सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्टेट नोडल ऑफिसर एवं जनपद स्तरीय जिला नोडल अधिकारी के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गयी, जिसमें महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अमृत सरोवर का निर्माण किये जाने के सम्बंध में निम्नानुसार प्राथमिकता पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये:–

1. अमृत सरोवर अभियान के अन्तर्गत चयनित अमृत सरोवर के निर्माण में निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए–
    1. चयनित अमृत सरोवर हेतु विशेष ग्राम सभा की खुली बैठक आयोजित करते हुए न्यूनतम 1 एकड़ (0.4 हेक्टेअर, जल संग्रहण क्षमता– 10000 क्यूबिक मीटर) के तालाब के लिए कार्ययोजना बनाई जाए।
    II. जनपद नवीन अमृत सरोवर बनाने में असमर्थ है, ऐसी स्थिति में पारिस्थितिक और उत्पादक उपयोगिता को बढ़ाने के लिये पूर्व से निर्मित तालाबों का पुनरूद्धार/डिसिल्टिंग का कार्य कराया जाए।
    III. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 11.05.2022 की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिये गये निर्देशों के अनुसार अमृत सरोवर के चारो ओर पाथ–वे एवं अमृत सरोवर तक संपर्क मार्ग का निर्माण भी कराया जाए।
    IV. चयनित अमृत सरोवर का स्थल विकास (Pondage Area Devlopment) कराते हुए कैचमेन्ट के विकास हेतु वृक्षारोपण एवं जल संचयन संबंधी कार्य कराया जाए।

12.05.2022

V. ड्रेनेज चैनेल के सुधार हेतु खुदाई (Dredging), बंधों का सुदृढ़ीकरण (Bank Stablization), अतिक्रमण की सफाई (Enroachment Removal) संबधी कार्य कराया जाए।

VI. चयनित अमृत सरोवर में यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दशा में गांव की नालियां से होता हुआ गन्दा पानी न पहुंचे। अमृत सरावर में गन्दा जल (सीवेज) न जाए इसके लिए यथावश्यक डाईवर्जन नाली आदि का निर्माण किया जाए। अमृत सरोवर में वर्षा का जल पूर्ण रूपेण आ सके, इसके लिए समुचित इनलेट की व्यवस्था की जाएगी तथा वर्षा जल वहां तक पहुंच सके इसके लिए आवश्यक चैनलाइजेशन भी किया जाएगा। तालाब में साफ पानी अन्दर जाए, इसके लिए पानी के आगमन (इन्ट्री प्वाइंट) पर यथावश्यक स्क्रीन एवं सिल्ट चैम्बर की व्यवस्था करते हुए ग्रेवाटर स्ट्रक्चर का निर्माण कराया जाए।

VII. चयनित अमृत सरोवर के किनारों पर समुचित यथावश्यकतानुसार कुटाई करते हुए BUND का निर्माण किया जाए इसके साथ ही उच्चगुणवत्ता के स्लोप तथा किनारों पर (Turfing) घास की रोपाई आदि कार्य कराया जाए।

VIII. अमृत सरोवर के किनारों पर फलदार एवं औषधीय पौधों का रोपण कराया जाए।

IX. चयनित अमृत सरोवर के तटबन्ध/उचित स्थान पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण हेतु प्लेटफॉर्म का निर्माण कराया जाए।

2. चयनित अमृत सरोवर के विकास हेतु वाटर स्ट्रेस्ड ब्लाक (Water Stressed Blocks) को प्राथमिकता दी जाए।

3. अमृत सरोवर के सौंदर्यीकरण कार्यों हेतु सार्वजनिक धन (Public Fund) का उपयोग नहीं किया जाएगा तथा Citizens and non-government bodies इच्छानुसार उक्त कार्यो में सहयोग दे सकते है।

4. अमृत सरोवर कार्यस्थल वन क्षेत्रों में आंशिक या पूर्ण रूप से स्थित होने की स्थिति में वन विभाग से सहमति प्राप्त करते हुए कार्य कराया जाएगा।

5. प्रत्येक अमृत सरोवर कार्यस्थल पर समान मानक आकार एवं LOGO का एक SIGNAGE (BOARD) स्थापित किया जाए। (मानक प्रारूप संलग्न)

6. अमृत सरोवर कार्यस्थल पर श्रमदान एवं अन्य दान देने वाले गणमान्य एवं अन्य जन सामान्य को सूचीबद्ध करते हुए, बोर्ड स्थापित किया जाए।

7. अमृत सरोवर अभियान के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु जनमानस की सहभागिता अति महत्वपूर्ण है साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों (स्वतंत्रता के बाद की अवधि) के परिवारों का सहयोग व योगदान लिया जाना आवश्यक है। अतः ऐसे स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद नागरिक जिन्होंने राष्ट्र को विकसित होते देखा है, वे स्वतंत्रता की अमृत वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर ग्राम के अन्य महिलाओं, युवाओं, स्कूली बच्चों और अन्य लोगों के साथ अमृत सरोवर का उद्घाटन और ध्वजारोहण का नेतृत्व करेंगे। अमृत सरोवर अभियान के अन्तर्गत अमृत सरोवर के स्थल के चयन में स्वतंत्रता सेनानियों, पद्मश्री विजेता और शहीदों के गांवों में स्थित सरोवर के स्थलों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह भी स्पष्ट करना है कि अमृत सरोवर का नाम स्वतंत्रता सेनानी, पद्मश्री विजेता एवं शहीदों के नाम पर रखा जाए।

8. अमृत सरोवर अभियान के अन्तर्गत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का User Associations बनाए जाएं।

9. अमृत सरोवर निर्माण में पारदर्शिता एवं उच्च गुणवत्ता तथा कार्यस्थल के चयन में प्रभाविकता (Asset efficiency) के दृष्टिगत् ग्राम पंचायत द्वारा निम्नानुसार 02 प्रभारी नामित किये जाएगें, जिनके द्वारा कार्य प्रारम्भ से पूर्व संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा। नामित प्रभारी के दायित्व निम्न होगें :-

क्र0सं0	प्रभारी	दायित्व
1	पंचायत प्रतिनिधि	1. अमृत सरोवर निर्माण का कार्य निष्पक्षता से सम्पादित कराना। 2. सामुदायिक परिसम्पत्ति की सुरक्षा
2	पंचायतस्तरीय अधिकारी	1. अमृत सरोवर निर्माण का अनुश्रवण 2. दस्तावेजीकरण यथा– कार्यस्थल की फोटो एवं वीडियो बनाना।

10. अमृत सरोवर अभियान के अन्तर्गत निर्मित अमृत–सरोवर से संबधित दस्तावेजों के रख–रखाव के साथ ही प्रचार–प्रसार, मीडिया, शार्ट फिल्म के माध्यम से किया जाएगा।
11. अमृत सरोवर अभियान हेतु मनरेगा, वित्त आयोग (Both tied and untied), PMKSY-HKKP-RRR के संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है।
12. योजनान्तर्गत निर्मित अमृत सरोवर पर प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम सम्पन्न कराया जाए।
13. अमृत सरोवर अभियान के अन्तर्गत उत्कृष्ट (ससमय पूर्णता, उच्च गुणवत्ता के कार्य आदि) प्रदर्शन करने वाली 3 ग्राम पंचायतों एवं 3 जनपदों को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर से पुरस्कृत किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत अमृत सरोवर की मार्ग–निर्देशिका के बिन्दु–8.4 के अनुसार जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक को जिला नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जिसके अनुसार जिला नोडल अधिकारी के उत्तरदायित्व निम्नानुसार है:–

1. अमृत सरोवर कार्यस्थल का चयन,
2. ससमय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने की व्यवस्था,
3. अमृत सरोवर अभियान का सफल क्रियान्वयन एवं ससमय पूर्णता सुनिश्चित करना,
4. अमृत सरोवर निर्माण हेतु वित्तपोषण के स्त्रोत निर्धारित करना,
5. अमृत सरोवर निर्माण में सहभागिता सुनिश्चित करने वाले कार्यदायी विभागों के मध्य समन्वय सुनिश्चित करना,
6. प्रत्येक अमृत सरोवर कार्यस्थल के लिए पंचायत स्तरीय अधिकारी का चयन करना,
7. अमृत सरोवर निर्माण की प्रगति का अनुश्रवण करना तथा स्टेट नोडल ऑफिसर को अवगत कराना,
8. सेन्ट्रल नोडल ऑफिसर द्वारा दिये गये फीड बैक के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना,
9. अमृत सरोवर अभियान के प्रगति का अमृत सरोवर पोर्टल एवं नरेगा वेबसाइट–www.nrega.nic.in की रिपोर्ट संख्या–6.27 के अनुसार अनुश्रवण करना तथा आवश्यकतानुसार अभियान के क्रियान्वयन संबधी महत्वपूर्ण बिन्दुओं से केन्द्रीय नोडल अधिकारी को अवगत कराना,
10. अमृत सरोवर अभियान की उपलब्धियों एवं परिणामों का डॉक्यूमेन्टेशन सुनिश्चित करना।
11. अमृत सरोवर अभियान के क्रियान्वयन में आ रही शिकायतों के समाधान के साथ ही समस्याओं का निवारण सुनिश्चित करना।

स्पष्ट करना है कि अमृत सरोवर अभियान के लिए समय–सारणी निम्नानुसार है:–

क्र0सं0	क्रियाकलाप	समय सारणी
1	20 प्रतिशत अमृत सरोवर की पूर्णता	15 अगस्त, 2022
2	समस्त अमृत सरोवर की पूर्णता	15 अगस्त, 2023

अपेक्षित है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत अमृत सरोवर का निर्माण किये जाने के सम्बंध में भारत सरकार एवं शासन स्तर से दिये गये निर्देशों के अनुरूप प्रभावी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक– 1– अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 18.04.2022।
2– शासनादेश दिनांक –27.04.2022।
3– अमृत सरोवर की गाइडलाइन।

भवदीय,

(योगेश कुमार)
अपर आयुक्त, मनरेगा
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्राँकः मनरेगा/पत्रा0सं0– / /2022 तद्दिनांक। 12.05

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन को सादर अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, वन एवं वन्य जीव विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, उद्यान विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उ0प्र0।
8. समस्त परियोजना निदेशक/उपायुक्त(श्रम रोजगार), उ0प्र0।

अपर आयुक्त, मनरेगा
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।